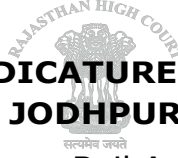




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2286/2026

Aidana Ram S/o Shri Satta Ram, Aged About 37 Years, Resident Of Charniyo Ki Dhani, Punasa, Tehsil Bhinmal Police Station Bhinmal District Jalore. At Present Teacher Grade-Iii, Govt. primary School, Bagariya Block Kotkhavda District.
(At Present Lodged In District Jail, Banswara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. JK Suthar
For Respondent(s)	:	Mr. Hathi Singh Jodha, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

23/03/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता (483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) पुलिस थाना सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 137/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता व धारा 3, 4, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम, 1992 के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। अन्य सह-अभियुक्तगण हीराराम सारण उर्फ हरीश व शंकरलाल की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के आदेश दिनांक क्रमशः 07.10.2025 व 04.02.2025 के द्वारा ली जा चुकी है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।



4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।
5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। अन्य सह-अभियुक्तगण हीराराम सारण उर्फ हरीश व शंकरलाल की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के आदेश दिनांक क्रमशः 07.10.2025 व 04.02.2025 के द्वारा ली जा चुकी है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **आईदानराम पुत्र सत्ताराम**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J